न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 51/2018

प्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी–

1. वगताराम पुत्र हरकाराम जाति सुथार निवासी सुथारों का वास, सिवाना जिला बाड़मेर (मैसर्स गोविन्द किराणा स्टोर सिवाना जिला बाड़मेर का मालिक)
2. राजेन्द्र कुमार अग्रवाल, सोल प्रोपराईटर ऑफ अनुपम इण्डस्ट्रीज प्लॉट नंबर एफ 78 रीको इण्डस्ट्रीयल ऐरिया शिवगंज जिला सिरोही

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 एवं 52
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री राजेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने एकपक्षीय।

आदेश

दिनांक : 02.03.2021

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 एवं 52 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थीगण की फर्म मैसर्स गोविन्द किराणा स्टोर सिवाना जिला बाड़मेर पर निरीक्षण दिनांक **07.10.2017** को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **रिफाईण्ड रेपसीड तेल ब्राण्ड अनुपम** दुर्गा (500एमएल) जो कि एक कार्टून में रखा हुआ पाया, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार 500–500 एमएल की चार

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.06.29 17:55:46 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

बोतलें सीलबंद **रिफाईण्ड रेपसीड तेल ब्राण्ड अनुपम दुर्गा (500एमएल)** वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–840** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **रिफाईण्ड रेपसीड तेल ब्राण्ड अनुपम दुर्गा (500एमएल)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **रिफाईण्ड रेपसीड तेल ब्राण्ड अनुपम दुर्गा (500एमएल)** का नमूना **मिथ्याछाप (Misbranded)** एवं **अवमानक (Sub-standard)** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(i) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 एवं 52 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब में निवेदन किया कि वह अत्यंत ही गरीब व्यक्ति है, उसके द्वारा रेपसीड तेल मैसर्स अनुपम इण्डस्ट्रीज से मंगवाया था, यह उसका प्रथम अपराध है तथा लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर जुर्म स्वीकार करना चाहता हूं। अतः जुर्म स्वीकार पर कम से कम जुर्माना आरोपित किया जावे।

3. अप्रार्थी संख्या 2 को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया किन्तु पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी कोई जवाब/प्रतिरक्षण प्रस्तुत नही किया गया। इस पर अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं प्रस्तुत परिवाद पर अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता एवं अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गई।

4. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के [illegible] उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **18.10.2017** की प्रति

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.06.29 17:55:46 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

जरिये नोटिस सूचित किये जाने पर अप्रार्थीगण के द्वारा उस पर कोई असहमति प्रकट नही की गई और न ही इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत परिवाद मे प्रतिरक्षण के रूप में अप्रार्थी संख्या 2 खाद्य पदार्थ निर्माता के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब में प्रकट किया कि उसके द्वारा मैसर्स अनुपम इण्डस्ट्रीज से जरिये माल क्रय किया गया साथ ही उसने लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में उसके प्रति नरम रूख अपनाये जाने का निवेदन किया है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा पदाभिहित अधिकारी एवं इस न्यायालय से नोटिस होने के बावजूद कोई जवाब व प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया जाने से जाहिर हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 के प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थ का लिया गया नमूना मिथ्याछाप व अवमानक पाये जाने के तथ्य का कोई जवाब नही है। ऐसे मे अप्रार्थी संख्या 2 को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रत्येक स्तर पर समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी जवाब/प्रतिरक्षण प्रस्तुत नही करना उसकी मौन स्वीकारोक्ति है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

5. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध अपराध धारा 51 व 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से रूपये 10,000/– जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध अपराध धारा 51 व 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से रूपये 2,00,000/– का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

6. आदेश आज दिनांक 02.03.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ओमप्रकाश बिश्नोई–I)
निर्णय अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2021.06.29 17:55:46 IST
Reason: SelfAttested